न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, डॉ0 राकेश कुमार शर्मा, आर.ए.एस.

अपील संख्या 296/17 **निर्णय दिनांकः** 2-11-17

सत्तार खॉ पुत्र जमालदीन जाति खटीक निवासी वार्ड नम्बर 4 तारानगर जिला चूरू।

अपीलांट्

–बनाम–

स्टेट ऑफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार, खाजुवाला।

रेस्पोडेन्ट्

अपील विरूद्व आज्ञा दिनांक 10–03–1987
सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ़ मु. बीकानेर

उपस्थितिः–

1. श्री मनमोहन चौधरी, अभिभाषक अपीलांट्
2. श्री नन्दराम कासनियॉ, राजकीय अभिभाषक

–निर्णय–

1. अपीलांट ने यह अपील सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ़ मु. बीकानेर के निर्णय दिनांक 10–03–1987 जिसके द्वारा अपीलांट को पूर्व में वन विभाग को आवंटित भूमि का भूमिहीन में आवंटन किया गया, के विरूद्व इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इगानप योजना में सरकारी कृषि भूमि आवंटन व विक्रय नियम) 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट् ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट को बतौर भूमिहीन उपनिवेशन तहसील खाजुवाला के चक 11 ए.आर.एम के मुरब्बा नम्बर 78/24 के किला नम्बर 1 ता 25 कुल तादादी 25 बीघा भूमि आवंटित की गई। किन्तु उक्त भूमि पूर्व

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

में ही अन्य व्यक्ति को आवंटनशुदा होने पर अपीलांट को चक 11 केजेडी के मुरब्बा नम्बर 162/7 जिसके हाल चक नम्बर 23 पीकेडी के मुरब्बा नम्बर 162/7/ के किला नम्बर 1 ता 25 तादादी 25 बीघा भूमि का आवंटन सहालकार समिति की राय से किया गया। तथा आवंटन पट्टा भी जारी कर दिया गया। परन्तु उक्त भूमि पूर्व में ही वन विभाग को आवंटनशुदा होने के कारण अपीलांट को उक्त भूमि का कब्जा नहीं मिला ना ही रिकार्ड में अंकन हो सका। इसमें अपीलांट का कोई दोष नहीं है।

अपीलांट एक गरीब काश्तकार है जिसकी आय का एक मात्र स्त्रोत खेती ही है। अपीलांट आज भी भूमिहीन व्यक्ति है। राज्य सरकार के भी ऐसे आदेश है कि ऐसे भूमिहीन व्यक्तियों को वरीयता देकर अन्यत्र भूमि दी जावे। चूंकि अपीलांट को आवंटित भूमि पूर्व से ही आवंटनशुदा भूमि है इसलिए अपीलांट अन्य भूमि पाने का पात्र है। इसलिए अपीलाधीन आदेश क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर किया गया आदेश है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावे व आवंटन अधिकारी को निर्देश प्रदान करावें कि अपीलांट को उसकी पात्रता अनुसार उसी किस्म की अन्य भूमि आवंटित की जावे।

उन्होंने मियांद पर बताया कि अपीलाधीन आदेश एकतरफा क्षेत्राधिकार से बाहर है। जिसमें मियांद अधिनियम बाधक नहीं है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश है। अतः अपील अन्दर मियांद घोषित की जावे।

4. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलांट ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 10–03–1987 के विरूद्व अपील दिनांक 08–09–17 को पेश की है। जोकि विलम्ब से पेश की है। इसलिए अपील मियांद बाहर है। मियांद प्रार्थना पत्र में मियांद कण्डोन करने का कोई संतोषजनक कारण अंकिन नहीं किया है। अपीलांट को आवंटित भूमि वन विभाग को आवंटनशुदा है व मौके पर वन विभाग का कब्जा है व मौके पर नर्सरी बनी हुई है। अपीलांट को उक्त भूमि नहीं मिल सकती। अब अपीलांट किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. जहॉ तक मियांद का प्रश्न है, अपीलाधीन आदेश दिनांक 24—05—2003 को पारित किया गया है। जिसके विरूद्व अपील 24—08—2017 को पेश की गई है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसके खण्डन में राज्य पक्ष द्वारा कोई काउण्टर शपथ पत्र पेश नहीं किया गया हैं। अतः प्रार्थी के शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए अपील में हुए विलम्ब को दरगुजर करते हुए अपील अन्दर मियांद घोषित की जाती है।

7. (1) हस्तगत् प्रकरण में अपीलांट द्वारा सामान्य/भूमिहीन के तौर पर आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र दिये जाने पर सलाहकार समिति की राय से चक 11 ए.आर.एम के मुरब्बा नम्बर 78/24 के किला नम्बर 1 ता 25 कुल तादादी 25 बीघा भूमि आवंटित की गई। किन्तु उक्त भूमि पूर्व में ही अन्य व्यक्ति को आवंटनशुदा होने पर अपीलांट को चक 11 केजेडी के मुरब्बा नम्बर 162/7 जिसके हाल चक नम्बर 23 पीकेडी के मुरब्बा नम्बर 162/7 (के किला नम्बर 1 ता 25 तादादी 25 बीघा भूमि का आवंटन सहालकार समिति की राय से किया गया। तथा आवंटन पट्टा भी जारी कर दिया गया।

(2) जहॉ तक अपीलांट को आराजी जैर के आवंटन का संबंध है, अपीलांट को उपरोक्त दोनों आवंटन, आवंटन सलाहकार समिति व अध्यक्ष आवंटन समिति की राय से बाद जॉच ही आवंटन किया गया था। अदालत मातहत द्वारा आवंटन से पूर्व इस तथ्य पर गौर नहीं किया गया ना ही जॉच नहीं की गई, कि आवंटन दिनांक को उक्त आराजी जैर शुद्व रूप से आवंटन हेतु उपलब्ध थी अथवा नहीं? अदालत माताहत का उक्त कृत्य धोर लापरवाही का द्योतक है। अदालत मातहत द्वारा की गई चूक अथवा लापरवाही का खामियाजा अपीलांट को नहीं मिल सकता।

(3) अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रस्तुत जमाबंदी संवत् 2069—72 के अनुसार आराजी जैर 11 केजेडी के मुरब्बा नम्बर 162/7 जिसके

हाल चक नम्बर 23 पीकेडी के मुरब्बा नम्बर 162/7 के किला नम्बर 1 ता 25 तादादी 25 बीघा वन विभाग को आवंटनशुदा है तथा मौके पर वन विभाग का कब्जा है। ऐसी स्थिति में आराजी जैर का कब्जा अपीलांट को प्राप्त नहीं हो सकता।

(4) अदालत मातहत द्वारा अपीलांट का आवंटन आज दिनांक तक निरस्त नहीं किया गया है। अपीलांट की पात्रता आज दिनांक तक कायम है।

(5) चूंकि अदालत मातहत द्वारा अपीलांट को ऐसी भूमि का आवंटन किया गया है, जो वन विभाग को आवंटनशुदा होकर मौके पर वन विभाग का पूर्व से कब्जा है तथा मौके पर वन विभाग का वृक्षारोपण है। इसलिए अपीलांट भूमिहीन श्रेणी की विवादरहित् भूमि विनिमय में अन्यत्र प्राप्त करने का अधिकारी है।

8. अतः बिन्दु संख्या 7 के पैरा संख्या 1 ता 5 में वर्णित विवेचना के आधार पर अपीलांट् की अपील आंशिक स्वीकार की जाती है व अपीलाधीन आदेश दिनांक 10—03—1987 निरस्त किया जाकर प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजुवाला को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांट को नियमानुसार उसकी पात्रता की जॉच करते हुए भूमिहीन श्रेणी की विवादरहित भूमि अन्यत्र भूमि आवंटन की कार्यवाही की जावे।

9. निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 2-11-17 को सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 राकेश कुमार शर्मा)
राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर